पत्थलगड़ी अभयिान

प्रीलम्सि के लयि:

पत्थलगड़ी अभयिान, छोटानागपुर करियेदारी एक्ट, 1908, संथाल परगना करियेदारी एक्ट, 1876, पंचायत (अनुसूचति क्षेत्रों तक वसि्तार) अधनियिम, 1996

मेन्स के लयि:

अतसिंवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लयि गठति तंत्र, वधि, संस्थान, एवं नकिाय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने वनों पर जनजातीय समुदायों के अधकिारों को प्रभावति करने वाले वनाधकिार अधनियिम, 2006 (Forest Rights Act, 2006) में कयि गए संशोधनों को वापस ले लयिा है।

पृष्ठभूम:ि

- झारखंड की राज्य सरकार ने छोटानागपुर करियेदारी एक्ट, 1908 (Chotanagpur Tenancy Act, 1908) और संथाल परगना करियेदारी एक्ट, 1876 (Santhal Parganas Tenancy Act, 1876) में संशोधन कर भूम िअधग्रिहण के मानदंडों को आसान बनाने का प्रयास कयिा, जसिसे समस्या और बढ़ गई।
    - हालाँकबिाद में इन संसोधनों को वापस ले लयिा गया।
- इस फैसले ने आदवािसी क्षेत्रों में पत्थलगड़ी की घटनाओं (Pathalgadi Movement) को जन्म दयिा है जो वन अधकिार अधनियिम, 2006 और पंचायत (अनुसूचति क्षेत्रों तक वसि्तार) अधनियिम, 1996 [Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996- PESA] के कार्यान्वयन की मांग कर रहे हैं।

छोटानागपुर करियेदारी एक्ट, 1908

(Chotanagpur Tenancy Act, 1908)

- आदवािसयिों के खलिाफ शोषण और भेदभाव के खलिाफ बरिसा मुंडा द्वारा कयि गए संघर्ष के फलस्वरूप वर्ष 1908 में छोटानागपुर करियेदारी अधनियिम पारति हुआ।
- इस अधनियिम ने आदवािसी भूम िको गैर-आदवािसयिों के लयि पारति होने को प्रतबिंधति कयिा।

संथाल परगना करियेदारी एक्ट, 1876

(Santhal Parganas Tenancy Act, 1876)

- संथाल परगना करियेदारी एक्ट, 1876 बंगाल के साथ लगी झारखंड की सीमा में संथाल परगना गैर-आदवािसयिों को आदवािसी भूम िकी बक्रिी पर रोक लगाता है।

//

पत्थलगड़ी अभियान के बारे में:

- झारखंड के कई गाँवों में गाँव की सीमा को इंगित करने , ग्राम सभा को एकमात्र संप्रभु प्राधिकरण घोषित करने तथा अपने क्षेत्र के बाहरी लोगों पर प्रतिबंध लगाने के लिये पत्थरों की पट्टिकाएं लगाई जाती हैं।
  - इन पत्थरों को ही पत्थलगड़ी कहते हैं जो हरे रंग से रंगे होते हैं तथा इन पर संदेश लिखे होते हैं।
  - इन संदेशों में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 के अंश शामिल होते है तथा बाहरी लोगों को गाँव में प्रवेश न करने की चेतावनी होती है
- झारखंड राज्य के आदिवासी बहुल इलाकों में पत्थलगड़ी एक सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा है।
- मुंडा जनजाति परंपरा के अनुसार एक विशाल पत्थर को जमीन में गाड़ना एक व्यक्ति की मृत्यु का प्रतीक होता है।
  - पत्थलगड़ी आंदोलन आदिवासी समुदाय के पूर्वजों को सम्मानित करने की परंपरा पर आधारित है।
- यह मुख्य रूप से राज्य के चार जिलों खूंटी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम में केंद्रित है।

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pathalgadi-movement